

13-12-2019

पार्सी के वकील उपस्थित। पेशेदार स्वरकार
उपस्थित। चूंकि मूल अपील प्रकरण कायम
निर्णित हो चुका है। अतः पार्सी को यह
स्थगन प्रार्थना पत्र खारज प्रभावहीन होने
से खारिज किले जाने योग्य है। अतः
पार्सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता
है। निर्णय सुनाया गया। फावली में सज
शुमार दोष नम्बर सेका है।

